



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233539
CG-DL-E-17022022-233539

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943

No. 717]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

का.आ. 737(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 5194 (अ) तारीख 14.12.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के बक्सर जिले में NH84 के कि.मी. 77.100 से कि.मी.125.000 (पटना-बक्सर सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 22 दिसंबर 2021 " को " प्रभातखबर " और " द टाइम्सऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के बक्सर जिले में NH84 के कि.मी. 77.100 से कि.मी. 125.000 (कलेक्ट्रेट बक्सर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: बक्सर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बक्सर				
	गांव का नाम: चुरामनपुर				
1	1170	निजी	कृषि	0.004	अमिर् चंद्र (1170)
	गांव का नाम: दलसागर				
2	1037	निजी	आवासीय	0.004	शिवतहल राई (1037)
	गांव का नाम: जासो				
3	19	निजी	परती	0.01597	विद्यापति देवी (19)
	गांव का नाम: निरंजनपुर				
4	56	निजी	कृषि	0.004	यूमा घेन्कार् राई (56)
	गांव का नाम: सारिमपुर				
5	641	निजी	आवासीय	0.0022	रजुक कान् (641)
6	645	निजी	आवासीय	0.0055	जाकिर कान् (645)
7	646	निजी	आवासीय	0.0265	जाऊवाद कान् (646)

8	647	निजी	आवासीय	0.056	फजल रहमरण कान् (647)
9	669	निजी	आवासीय	0.00467	रेम् निवास राई (669)
10	676	निजी	आवासीय	0.02	जुमराटन मिया (676)
11	677	निजी	आवासीय	0.008	अगित मिया (677)
12	678	निजी	आवासीय	0.0298	इदरीस कान् (678)
13	679	निजी	आवासीय	0.02	निजाम कान् (679)
14	680	निजी	आवासीय	0.013	सिकंदर कान् (680)
15	685	निजी	आवासीय	0.049	कब्रिस्तान (685)
तालुक का नाम: डुमराव					
गांव का नाम: भोजपुर कदीम					
1	2903	निजी	कृषि	0.065	कालीचरण (2903)
2	2915	निजी	कृषि	0.3439903	शिवदास सिन् (2915)
3	354	निजी	कृषि	0.012	तिलगदारी प्रेसड् (354)
गांव का नाम: तुरीगंज					
4	923/2260	निजी	आवासीय	0.005	सुरेंद्र सिन् (923/2260)
5	924	निजी	आवासीय	0.023	पकौड़ी सिन् (924)
6	925	निजी	कृषि	0.032	नथुनी सिन् (925)
			कुल	0.7436303	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

S.O. 737(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O 5194 (E) dated 14-12-2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH84 on the stretch of land from Km. 77.100 to Km. 125.000 (patna Buxar section) in the district of BUXAR in the state of BIHAR;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Prabhat Khabar*” and “*The Times Of India*” both dated 22 December 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH84 in the stretch of land from NH84 (collectorate Buxar) in the district of BUXAR in the State of BIHAR.

State: BIHAR		District: BUXAR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Buxar				
	Village: Churamanpur				
1	1170	Private	Agriculture	0.004	Amir chandr 1170
	Village: Dalsagar				
2	1037	Private	Residential	0.004	Shivtahal Rai 1037
	Village: Jaso				
3	19	Private	Parti	0.01597	Vidyapati Devi 19
	Village: Niranjanpur				
4	56	Private	Agriculture	0.004	Uma Shankar Rai 56
	Village: Sarimpur				
5	641	Private	Residential	0.0022	Rajuk Khan 641

6	645	Private	Residential	0.0055	Jakir Khan 645
7	646	Private	Residential	0.0265	Jaowad Khan 646
8	647	Private	Residential	0.056	Fazal rahmaran khan 647
9	669	Private	Residential	0.00467	Ram Niwas Rai 669
10	676	Private	Residential	0.02	Jumratan Miya 676
11	677	Private	Residential	0.008	Agita Miya 677
12	678	Private	Residential	0.0298	Idris Khan 678
13	679	Private	Residential	0.02	Nizam Khan 679
14	680	Private	Residential	0.013	Sikander Khan 680
15	685	Private	Residential	0.049	Kabristan 685
Taluk: Dumraon					
Village: Bhojpur Kadim					
1	2903	Private	Agriculture	0.065	Kalicharan 2903
2	2915	Private	Agriculture	0.3439903	Shivdas Singh 2915
3	354	Private	Agriculture	0.012	Tilagdari Prasad 354
Village: Turiganj					
4	923/2260	Private	Residential	0.005	Surendra Singh 923/2260
5	924	Private	Residential	0.023	Pakaudi Singh 924
6	925	Private	Agriculture	0.032	Nathuni Singh 925
			TOTAL	0.7436303	

[F. No. NHAI/BOT-II/11012/26/2004/3D]

RAJESH GUPTA, Director